न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 372–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–12–2012 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला इंदौर के सीमांकन कमांक 3877

.....

1–अश्विन मोदी पिता श्री रामदास मोदी,
2–आदित्य मोदी पिता अश्विन मोदी,
3–उषा मोदी पति अश्विन मोदी,
तीनों निवासी 2/3 मनोरमागंज इंदौर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती हरविंदर कौर पति जसपाल सिह,
निवासी 13 किबे कम्पाउण्ड इंदौर म0प्र0

..... अनावेदिका

.....

श्री मनोज श्रीमाल, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक–अनावेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, भू–अभिलेख, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका हरविंदर कौर द्वारा ग्राम तलावली चांदा स्थित भूमि सर्वे कमांक 11/2 व 40/1 रकबा कमशः 0.831

व 0.368 हेक्टेयर जो कि अनावेदिका के स्वामित्व की भूमि है, के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया गया । उक्त सीमांकन पर आवेदकगण द्वारा आपत्ति किये जाने पर अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा आपत्ति निरस्त की जाकर आवेदकगण द्वारा उनकी भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु दिनांक 12–12–2013 को निर्देशित किया गया । तत्पश्चात् अनावेदिका की भूमि के किये गये सीमांकन की जॉच हेतु दल गठित किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा दिनांक 22–12–2012 को अनुमोदन किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन दल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, परन्तु प्रतिवेदन का अनुमोदन कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया है इसलिये किया गया सीमांकन अवैधानिक है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन आवेदकगण की अनुपस्थिति में किया गया है और आवेदकगण को सीमांकन की किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन में सभी पड़ोसी कृषकों को भी सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन दल द्वारा अनावेदिका की भूमि के अलावा अन्य भूमियों का भी सीमांकन कर दिया गया है और सर्वे कमांक 21/2 व 21/1 का नक्शे में बटांकन भी नहीं है और उक्त भूमि का भी सीमांकन कर दिया गया है, इसलिये सीमांकन कार्यवाही अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका की भूमि का सीमांकन गठित विशेष दल द्वारा किया गया है और सीमांकन स्थायी चिन्हों से किया जाकर विस्तृत फील्डबुक तैयार की गई है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि मौके पर

आवेदक उपस्थित हुआ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी पड़ोसी कृषकों सहित सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सीमांकन में सूचना दी गई है तथा कुछ पड़ोसी कृषक सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित भी हुये । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु विधिवत् सीमांकन दल का गठन किया गया है और सीमांकन दल द्वारा आवेदकगण व अनावेदक की अनुपस्थित में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, क्योंकि मौका पंचनामा में आवेदकगण व अनावेदक के हस्ताक्षर नहीं है तथा सभी पड़ोसी कृषक भी सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुये है । कलेक्टर न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर विचार नहीं कर दिनांक 22–12–2012 को आदेश पारित कर किये गये सीमांकन का अनुमोदन करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा कराया गया सीमांकन एवं कलेक्टर न्यायालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक भू–अभिलेख एवं कलेक्टर, भू–अभिलेख, जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2012 निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर